रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी

विवरणिका 2021-22

The Great Aim of Education is not Limited to Knowledge,
It Ignites the Imagination and Leads to Action

Ph.No.01374-222148, E-mail Id–gpgcuttarkashi@rediffmail.com,
Website www.gpgcuki.ac.

Principal's Desk

I am greatly rejoiced and proudly place on record the fact that since the inception of the college in 1969, the tireless striving, commitment and fidelity have facilitated the growth of this 'Temple of Learning'. These last five decades has witnessed strong blend of state-of-the-art infrastructure and intricately intertwined human resource committed to provide education with thrust on creativity and innovation with a professional approach.

The college in its long history has accommodated students and faculty of different communities. In our college we respect the national values of integration and communal harmony. We take pride in reciting our National Anthem and National Song in our college. We at RCU Govt. PG College strive for maintaining a reputation for quality teaching, imparting excellent education, enabling holistic development and inculcating leadership and social values. The college has earned a prestigious reputation of harnessing a progressive outlook towards education by introducing skill enhancement and career oriented courses inculcating latest skills, and ICT enabled teaching facilities. NCC, NSS & Rover Rangers units in the college are being run with full dedication and gusto.

NCC cadets & NSS volunteers regularly take part in health and literacy drives and all other programs of national integration. Eminent experts are invited from both industry and academia for interaction with the students on latest development and trends. Besides, their teaching and other academic responsibilities many faculty members are involved in Research and Development activities.

Besides this, latest books required for various subjects are being bought for the college library. College Magazine 'Him Suman' provides students with a platform for creative writing. Moreover, all Departments have subscribed to e-journal, and have their account on 'INFLIBNET'. In the field of sports, our students have brought laurels to the college. Career Counselling and Aptitude and GD classes are conducted to improve the skills of the students. We have hostel facility for boys and the proposal for a girls' hostel has been sent to RUSA. Anti-Ragging measures/Initiatives are put in place well before commencement of the new session. College has special concern for Gender Equity and to maintain the peaceful atmosphere for girl students we have Women Redressal Cell. To ensure the participation and involvement of stakeholders we have Parent Teacher Association and Alumni's Association. College has an Auditorium and open air stage for conducting cultural events such as Annual Function, Seminars, invited lectures and other cultural or academic meets.

I extend my warm wishes to all the students both, new and old, of the college. I am also thankful to the dedicated and devoted faculty members who are doing the noble task of teaching and contributing their time for the development and growth of institution.

Principal

महाविद्यालय–उद्भव एवं विकास

(College-Inception and Devleopment)

प्रवेश–विवरणिका सत्र (2021–2022)

जनपद उत्तरकाशी के मुख्यालय में अवस्थित इस महाविद्यालय का शुभारम्भ 30 जून 1969 को विज्ञान संकाय के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों की स्वीकृति तथा 3 प्राध्यापकों एवं 12 छात्रों के अध्ययन–अध्यापन के साथ हुआ। 1970–71 में वनस्पति विज्ञान एवं जन्तुविज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ हुई। 1972–73 में हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के साथ कला संकाय अस्तित्व में आया। 1974 में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय की स्वीकृति हुई, इसके साथ ही कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में अध्ययन की व्यवस्था हो गई। 1975–76 में महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हिन्दी, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान विषयों के अध्ययन की स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रगति के इस क्रम में सत्र 1978–79 में अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास एवं भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ हो गई। 1979–80 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र, चित्रण एवं रंजन कला तथा स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य की कक्षाएं प्रारम्भ हो गई। तदुपरान्त 1985–86 में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान एवं स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय के अध्ययन की स्वीकृति प्राप्त हुई। सत्र् 2001–02 में शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर जन्तु विज्ञान, गणित तथा स्नातक स्तर पर संगीत विषय के अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र 2009–10 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्ववित्त पोषित बी0एड0 की कक्षाएं प्रारम्भ की गई। सत्र 2015–16 से समाजशास्त्र, गृहविज्ञान एवं चित्रण रंजन कला में स्नातकोत्तर स्तर पर भी कक्षाएं संचालित हो रही है।

वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में स्नातक में 17 विषयों तथा स्नातकोत्तर में 16 विषयों में अध्ययन की सुविधा है। महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का अध्ययन केन्द्र कोड सं0–2748 वर्ष 2001 से संचालित हो रहा है। अप्रैल 2010 से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय एवं सत्र 2012–13 से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र भी स्थापित हो चुका है।

सम्प्रति महाविद्यालय में प्राचार्य सहित प्राध्यापकों के 62 पद स्वीकृत हैं तथा लगभग 2600 छात्र–छात्राएं भी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय घोषित किया जा चुका है। महाविद्यालय वर्ष 2005 में NACC (नैक) द्वारा B+ ग्रेड में प्रत्यायित (accredited) एवं वर्ष 2011 में B ग्रेड से पुनःप्रत्यायित (reaccredited) है। वर्ष 2018 में महाविद्यालय को B+ ग्रेड से पुनःप्रत्यायित (reaccredited) किया गया है।

सम्बद्धता

(Affiliation)

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक यू0ओ0संख्या–02/XXIV(7)/2017 उच्च शिक्षा अनुभाग–7 देहरादून दिनांक 10 अगस्त, 2017 तथा निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्रांक डिग्री प्लान/38–40/2018–19 दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा महाविद्यालय को स्नातक/स्नातकोत्तर पर शैक्षणिक सत्र 2018–19 से श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त है। सत्र 2019–20 से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली समाप्त हो चुकी है। स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हैं।

प्रवेश प्रक्रिया एवं सामान्य प्रवेश नियम

(Admission Process and General Rules of Admission)

निम्नलिखित नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें

प्रवेशार्थी आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व निम्नांकित नियम अवश्य पढ़ लें। प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक अर्हता पूर्ण करने के पश्चात् ही प्रवेश आवेदन पत्र भरें। जिस प्रवेशार्थी के पास न्यूनतम आवश्यक अर्हता नहीं है, फिर भी वह आवेदन करता है तो वह किसी भी प्रकार के प्रवेश का दावेदार नहीं होगा।

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं आवेदन–पत्र महाविद्यालय की website – gpgcuki.ac.in पर ऑन लाइन भरा जाना है। ऑन लाइन पंजीकरण पत्र की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के बाद ही आवेदन–पत्र भरा जाएगा। आवेदन–पत्र में जिस वर्ग में आरक्षण लेना चाहते हैं, उस वर्ग का आरक्षण प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अपूर्ण आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होंगे। प्रवेशार्थी अपना सही मोबाइल न. भरे जिससे उन्हें प्रवेश सम्बन्धी सूचना, आनलाइन क्लास टीचिंग की सूचना तथा परीक्षा संबंधी सूचना उनके मोबाइल Whatsapp पर भेजी जा सके और वह लगातार महाविद्यालय के सम्पर्क में रह सके।
2. आवेदन–पत्र में दी गई सूचना को वास्तविक (सत्य) मानते हुये मेरिट तैयार की जाएगी जो कि अपरिवर्तनीय होगी, और गलत सूचना के आधार पर किसी भी विसंगति के लिये प्रवेशार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि मेरिट सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपकी दावेदारी स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और आपके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार दूसरे प्रवेशार्थी को अवसर प्रदान किया जायेगा। अतः सभी सूचनायें भली–भांति सोच समझकर भरें।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों/विषयों में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी अलग–अलग आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा एक प्रवेश आवेदन–पत्र के आधार पर अन्य संकाय/विषयों में प्रवेश पर विचार संभव नहीं होगा।
4. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड करें। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

क.	अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी0सी0)।
ख.	विगत समस्त परीक्षाओं के अंक पत्रों की मूल प्रति।
ग.	हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति (आयु प्रमाण पत्र के लिये)।
घ.	नवीनतम रंगीन 4 फोटो।
ड.	विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद तथा एन.एस.एस./स्काउट/ध्रुवपद/गुरूपद/साक्षरता/एन0सी0 सी0 प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
च.	अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक अन्तराल (गैप पीरियड) होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। दो वर्ष का अंतराल होने पर प्रवेशार्थी को स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम (छः माह से अधिक पुराना न हो) चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
छ.	अनुसूचित जाति/जनजाति/ उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/विकलांग प्रवेशार्थियों को सक्षम अधिकारी (एस0डी0एम0/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार) द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र व आय प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

5. प्रवेश के लिए आवश्यक समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ ही अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र अपलोड करने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र आवेदन पत्र में संलग्न नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। जिस छात्र/छात्रा के प्रमाण पत्रों में नाम की त्रुटि है, उसे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि दोनों नाम उसी के हैं।

6. स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट या समकक्षीय परीक्षा में 45 प्रतिशत तथा कला एवं वाणिज्य के लिए स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये प्रवेश अर्हता में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट होगी।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 1144/कार्मिक/2/2001/53; 1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग –4 के पत्रांक 1022/XXIV(4)/2019-01(03)/2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार अनुमन्य होगी जो कि निम्नवत् है। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर अनु.जाति 19 प्रतिशत, अनु.जनजाति 4 प्रतिशत व अन्य पिछडा वर्ग 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत देय होगा। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
   (क) महिलायें 30 प्रतिशत
   (ख) भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत
   (ग) विकलांग 04 प्रतिशत
   (घ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 02 प्रतिशत। महिला/पुरूष जिस वर्ग से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग में क्षैतिक आरक्षण अनुमन्य होगा। परन्तु उपर्युक्त सभी आरक्षण तभी मान्य होंगें जब प्रवेशार्थी प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हता रखते हों। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जिन जातियों को अधिसूचित किया गया है, उनको ही ''अन्य पिछड़े वर्ग'' के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
8. स्नातक स्तर पर केवल प्रथम वर्ष में एक बार अनुत्तीर्ण हुए इस महाविद्यालय के संस्थागत छात्र/छात्रा को ही संकाय बदलकर प्रवेश दिया जायेगा। एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा को संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. गत वर्ष के महाविद्यालय के संस्थागत छात्रों के लिये प्रवेश आवेदन पत्र के साथ विगत परीक्षा के अंक पत्र की मूल प्रति अपलोड करना आवश्यक हैं। संस्थागत छात्रों के अतिरिक्त अन्य प्रवेशार्थियों के लिये प्रथम बार प्रवेश लेते समय समस्त परीक्षाओं के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अपलोड करनी आवश्यक हैं।
10. आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ही होगा। किसी भी श्रेणी में आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र सितम्बर 2018 से पूर्व का मान्य नही होगा। उत्तराखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगें। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानों पर ही प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे वरीयता सूचकांक में अर्ह हो। उत्तराखण्ड से बाहर की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों को नियमानुसार मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में 04 प्रतिशत का आरक्षण देय होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु संकाय में स्नातकोत्तर स्तर की सम्पूर्ण सीटों की संख्या के आधार पर विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की गिनती की जायेगी, तदुपरान्त प्राचार्य/संकायाध्यक्ष यह निर्णय लेगें कि आरक्षित सीटों पर प्रवेशार्थी उपलब्ध न होने पर सीटों को सामान्य श्रेणी से भरा जा सकेगा।
11. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 इंटरमीडिएट कक्षा के अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि उन्होने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
12. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से 10+2 इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि ऐसे अभ्यार्थियों के दसवीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा इन्टरमीडिएट में पांच विषय हों।
13. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं/विषयों में प्रवेश निर्धारित सीटों पर ही होगा।
14. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/शास्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। स्नातक द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें, जो उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
16. ऑनलाइन प्रवेश के पश्चात यथोचित समय पर अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष मूल प्रमाण पत्रों (टी. सी., चरित्र प्रमाण पत्र सहित) स्वंय उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छायाचित्र एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके। किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को एक माह के अन्दर प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है अन्यथा अस्थाई प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
17. किसी कक्षा एवं संकाय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को पुनः उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप–आउट छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित नहीं हुआ हों।
18. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदलकर प्रवेश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र/छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा।
20. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्तामण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उन का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
21. किसी भी छात्र/छात्रा को संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी परीक्षा छात्र/छात्रा एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः उसी कक्षा/ या इसके समक्ष दूसरे संकाय की किसी कक्षा में प्रवेश नही ंदिया जायेगा। उदाहरणार्थ– यदि किसी छात्र ने एम0ए0 अर्थशास्त्र उत्तीर्ण कर लिया हो तो उसे कला संकाय के किसी अन्य विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, और न ही वह किसी अन्य संकाय की समकक्ष कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
22. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा।
23. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें।
24. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
25. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
26. कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में तीस दिनों के छूट के साथ–साथ सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
27. रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा और वह कानूनी कार्यवाही के दायरे में आ जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू0जी0सी0 की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।
28. छात्र/छात्राओं द्वारा किसी कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि दो वर्ष तक का अन्तराल हो और वह प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन करता है तो महाविद्यालय ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे सकता है, परन्तु छात्र/छात्रा द्वारा इस समय–अन्तराल का शपथ–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त) जमा करना होगा ।
29. किसी भी विद्यार्थी को किसी कक्षा में दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

30. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित परिधान (ड्रेसकोड) में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित परिधान में न आने पर महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।
31. प्रवेश के समय विद्यार्थियों को विषयों का चयन अच्छी प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन नहीं होगा।
32. श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय/माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है।
33. महाविद्यालय के परिसरों/छात्रावास में छात्र–छात्राओं को प्रवेश परिचय–पत्र जाँच के उपरान्त ही किया जायेगा। अभिभावकों/बाह्य व्यक्तियों के लिए प्रवेश/अभ्यागत् पंजिका बनायी जायेगी।

1. योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम

स्नातक स्तर पर

इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत में निम्नानुसार अतिरिक्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी तथा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जायेगा। तत्पश्चात् उपलब्ध स्थानों के प्रति योग्यता क्रम में (प्रवेश प्रक्रिया का नियम–2 भी पढ़ा जाये) प्रवेश दिया जायेगा।

1.	**इण्डैक्स ज्ञात करने हेतु अभ्यर्थियों को नियमानुसार निम्न अतिरिक्त अंक देय होंगे।**	
a.	राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व लेने पर	07 अंक
b.	राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने पर	05 अंक
c.	**स्काउट :–**	
	स्काउट में पद सोपान–1 धारक को	01 अंक
	पद सोपान –3 धारक को	02 अंक
	निपुण धारक	01 अंक
	राज्य पुरस्कार धारक	02 अंक
	राष्ट्रपति पुरस्कार धारक **(अधिकतम 05 अंक देय होग)**	03 अंक
d.	**एन.सी.सी. :–**	
	एन.सी.सी. B . प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी	02 अंक
	एन.सी.सी. C प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी	03 अंक
	गणतन्त्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) (किन्तु अधिकतम 05 अंक ही देय होगे)	05 अंक
e.	**एन.एस.एस. :–**	
	एन.एस.एस. B प्रमाणपत्र धारक (240 घंटे+2 विशेष शिविर)	02 अंक
	C प्रमाणपत्र धारक	03 अंक
	राष्ट्रीय एकीकरण शिविर /गणतंत्र दिवस परेड (किन्तु अधिकतम 05 अंक ही देय होगे)	05 अंक

नोट : किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु अधिकतम देय अतिरिक्त अंक 15 ही होगे।

1. कार्यरत् सैनिकों एवं केन्द्रीय मन्त्रालयों के अधीन अर्द्ध सैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 03 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा। टिप्पणी :–समान सूचकांक होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमन्य होगा।

2. शैक्षिक योग्यता, खेलकूद, एन0सी0सी0 आदि में उपलब्धियों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जायेगी और अभ्यर्थियों को प्रवेश सूची में योग्यता के क्रम में रखा जाएगा।

2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु विशेष नियम

स्नातकोत्तर में प्रवेशार्थ न्यनूतम अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक डिग्री होगी। स्नातकोत्तर कक्षाओं (एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर न्यूनतम (बी.ए. 40 प्रतिशत तथा बी.कॉम. 40 प्रतिशत एवं बी.एस.सी. 45 प्रतिशत) प्राप्तांक आवश्यक है। वाणिज्य संकाय की स्नातकोत्तर कक्षा (एम.कॉम.) में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्ययालय की स्नातक वाणिज्य की परीक्षा में उतीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक एवं अन्य संकाय की स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होगे। एम.ए. में किसी भी विषय में प्रवेश बी.ए. के किसी एक विषय के आधार पर होगा।

योग्यता सूची का निर्धारण एवं प्रवेश से सम्बन्धित नियम :–

1.	एम0एससी0 पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु बी0एससी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (समस्त सेमेस्टर) की अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियाँ एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ सूचकांक ज्ञात करने हेतु प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2.	आरक्षण शासन के नियमानुसार लागू होगा। (प्रवेश नियम 07 देखें)।
3.	बी0एससी0 एवं बी.कॉम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी विषय में एम.ए. प्रथम वर्ष में (प्रयोगात्मक विषय को छोड कर) प्रवेश के लिए अर्ह होगे। प्रयोगात्मक विषय में केवल उसी विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसे छात्र ने बी.एस.सी. अथवा प्रयोगात्मक विषय के साथ बी.ए. तीन वर्षीय पाठयक्रम के अन्तर्गत पढा हो।
4.	सम्पूर्ण स्थान योग्यता सूची (मेरिट) से भरे जायेंगे, जो निम्नांकित सूचकांक (Index) गणना के आधार पर निर्धारित किया जायेगा : $(X/x+y/Y)X100$ (यहाँ x = प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के लिखित (Theory) के प्राप्तांकों का योग। X= स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग। y= प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के प्राप्तांकों का योग। Y= प्रवेश हेतु चयनित विषय में स्नातक के तीनों वर्षों के पूर्णांकों का योग। अतिरिक्त अंकों की गणना निर्धारित कर उसे सूचकांक (अ) में जोड दिया जायेगा।
5.	आवेदक ने यदि उसी महाविद्यालय जिसमें प्रवेश ले रहा हो से स्नातक परीक्षा उतीर्ण की हो तो 05 अंक एवं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के स्नातक हो 03 अंक देय होगे।
6.	महाविद्यालय के नियमित शिक्षकों/श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री, पति–पत्नी) को उसी महाविद्यालय जिसमें उनके माता–पिता, पति–पत्नी कार्यरत हो को 05 अतिरिक्त अंक देय होगे।
7.	आरक्षण एवं अधिभार सम्बन्धी नियम स्नातक स्तर की तरह ही लागू होंगे।

नोट : अतिरिक्त अधिकतम देय अंक 15 ही होगे।

महाविद्यालय स्तर पर सीटों का संकायवार एवं विषयवार निर्धारण

हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पत्रांक मान्यता/1843/1844 दिनांक 21.01.2015 एवं पत्रांक विविध/1938/ दिनांक 25.03.2015 के अनुसार इस महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों में उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1171XXIV – (4)18(2)/2017 दिनांक 13 अगस्त 2018 एवं श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय उत्तराखंड के अनुसार स्नातक स्तर पर 40% एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 10% सीटों की वृद्धि के फलस्वरूप कुल सीटों का निर्धारण इस प्रकार है –

क्र॰ सं॰	विषय	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
		कुल सीट	कुल सीट
कला संकाय			
1	हिन्दी, संस्कृत, अँग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास,	210	33
2	भूगोल	**210**	22
3	गृह विज्ञान,	84	22
4	चित्रण एवं रंजन	84	11
5	संगीत	42	–
स्नातक स्तर पर कला संकाय में कुल स्वीकृत सीट 630			
विज्ञान संकाय			
1	जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान	210	17
2	भौतिक विज्ञान,	168	17
3	गणित	168	33
4	रसायन विज्ञान	378	17
स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में कुल स्वीकृत सीट 378			
वाणिज्य संकाय			
1	बी॰ कॉम॰ प्रथम वर्ष	112	33
स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में कुल स्वीकृत सीट 112			

नोट : शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक –2 2001-53(1)2001 के द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा के अंतर्गत उत्तराखंड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग –4 के पत्रांक 1022 XXIV – (40) /2019-01(30/2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार 10% सीटों की बढ़ोतरी की गई है।

3. विज्ञान संकाय
(Faculty of Science)

बी0 एस0 सी0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी नियम

बी0एससी0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थियों को निम्न संवर्गो में से वही संवर्ग देय होगा जिस संवर्ग से उसने इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अर्थात गणित संवर्ग (गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को गणित संवर्ग तथा प्राणी विज्ञान संवर्ग (वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को जीव विज्ञान संवर्ग के विषय अनुवर्ग ही अनुमन्य होगें। अभ्यर्थी वरीयता क्रम में अपने संवर्ग में तीन विषय, ऑनलाईन आवेदन पत्र पर अंकित करेंगे। प्रवेश समिति द्वारा आवंटित अनुवर्ग विषय अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा। निम्नलिखित अनुवर्ग उपलब्ध विषयों के अनुरूप लागू होगें।

गणित संवर्ग

भौतिकी – गणित – रसायन विज्ञान

प्राणि विज्ञान संवर्ग

वनस्पति विज्ञान – जन्तु विज्ञान – रसायन विज्ञान

4. कला संकाय
(Faculty of Art)

बी0 ए0 प्रथम वर्ष के लिए विषय चयन सम्बन्धी निर्देश :

1.	बी0ए0 प्रथम वर्ष में छात्र को तीन विषयों में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2.	कोई भी छात्र हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से कोई दो विषय चुन सकता है।
3.	कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का चयन कर सकता है किन्तु
	क. गृहविज्ञान के साथ गणित का चयन नही किया जा सकता है।
	ख. अर्थशास्त्र के साथ सगीत, चित्रकला का चयन नही किया जा सकता है।
	ग. भूगोल के साथ सगीत चित्रकला तथा इतिहास का चयन नही किया जा सकता है।
4.	केवल वे छात्र छात्रा चित्रकला का अध्ययन कर सकते है जिन्होंने इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में संबंधित विषयों के साथ उतीर्ण की हो।
5.	केवल वही अभ्यर्थी संगीत विषय ले सकते है जिनका 10 +2 में संगीत विषय रहा हो या जिन्होंनें भारत खण्डें व प्रयाग संगीत समिति से मध्यमा/ सीनियर डिप्लोमा/चार वर्षीय पाठ्यक्रम उतीर्ण किया हो। अन्य प्रतिभावान अभ्यर्थी यदि संगीत विषय लेने के इच्छुक हो तो विभागाध्यक्ष उनकी स्वर परीक्षा ले कर प्रवेश संस्तुत कर सकते है परन्तु अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहेगे।

6. केवल वे छात्र भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं जिन्होने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा भूगोल के साथ अथवा विज्ञान संवर्ग जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की हो।

7. हिन्दी के साथ संस्कृत को प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि उत्तराखण्ड में प्रतियोगिता परीक्षा हेतु यह संयोजन प्रायः मांगा जाता है।

नोट– ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय प्रवेशार्थी आवेदन पत्र में विषय संयोजन की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता स्पष्ट रूप से भरेंगे। विषय सम्बन्धी अस्पष्टता के मामले में विषय संयोजन आवंटित करने का अन्तिम अधिकार महाविद्यालय प्राचार्य/ प्रवेश समिति को होगा।

5. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु नियम

(क) बी.कॉम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट में वाणिज्य विषय के साथ 40 प्रतिशत अंकों का होना आवश्यक है। ऐसे छात्र/छात्राऐं जिनका इण्टर में वाणिज्य विषय नहीं रहा है, को बी.कॉम. में एक अतिरिक्त क्वालिफाइग परीक्षा ''पुस्तपालन एवं लेखाकर्म'' (Elementary Book Keeping) आवश्यक रूप से लेना एवं उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) एम.कॉम. पूर्वार्द्ध में उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार किया जायेगा जिन अभ्यर्थियों ने इण्टर अथवा स्नातक परीक्षा वाणिज्य विषयों के साथ उत्तीर्ण की है।

(ग) स्नातकोत्तर स्तर (एम0कॉम) पर संस्थागत प्रवेश हेतु बी0कॉम0 40 प्रतिशत एवं अन्य संकाय के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

6. शुल्क एवं उसका भुगतान
(Fee and its Modes of Payment)

पूरे सत्र का शुल्क निम्नवत् एक मुश्त लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय/शासन से अतिरिक्त निर्देशों के प्राप्त होने पर तदनुसार संशोधित शुल्क देय होगा तथा शुल्क बैंक में जमा करना होगा।

वार्षिक शुल्क विवरण
(Annual Fee Details) 2021–22

(i) कोषागार निधियां

प्रवेश शुल्क	**3.00**
शिक्षण शुल्क (स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए	**180.00**
प्रयोगात्मक शुल्क	**240.00**
पुस्तकालय शुल्क **(स्नातक स्तर पर)** **(स्नातकोत्तर स्तर पर)**	**3.00** **10.00**
महंगाई शुल्क	**240.00**
विकास शुल्क	**20.00**
पंखा शुल्क	**5.00**

(ii) महाविद्यालय छात्र निधियां

शिक्षक अभिभावक परिषद	**30.00**
काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल	**30.00**

क्रीड़ा शुल्क	240.00
वाचनालय एवं रख–रखाव	30.00
पत्रिका	50.00
छात्र यूनियन	70.00
छात्र सहायता	10.00
कालेज डे	20.00
सांस्कृतिक क्रियाकलाप	50.00
विभागीय परिषद	50.00
विद्युत/जलकर	60.00
परिचय पत्र	25.00
रोवर रेंजर	60.00
भवन/फर्नीचर मरम्मत	100.00
प्रयोगशाला सामग्री शुल्क	60.00
महाविद्यालय विकास प्रांगण एवं सौन्दर्यीकरण	100.00
कम्प्यूटर रखरखाव एवं इण्टरनेट सुविधा	70.00
जनरेटर शुल्क	50.00
पार्किंग शुल्क	30.00
स्वच्छता/प्रसाधन शुल्क	50.00

(iii) परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क (विश्वविद्यालय से प्रपट निर्देशानुसार देय होगा) (स्नातक स्तर) प्रति वर्ष (स्नातकोत्तर स्तर) प्रति सेमेस्टर	900.00 1100.00
नामांकन	200.00
उपाधि	400.00

(iv) विविध शुल्क

अस्थाई चरित्र प्रमाण पत्र शुल्क	10.00
परिचय पत्र (द्वितीय प्रति) शुल्क	50.00
शुल्क रसीद (द्वितीय प्रति) शुल्क	50.00

(अ) स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम शुल्क

शिक्षण शुल्क (प्रति वर्ष)	35000.00
प्रतिभूति राशि	1000.00
परीक्षा शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	2250.00
पंजीकरण शुल्क	500.00
उपाधि शुल्क	170.00

नामांकन शुल्क (वि0वि0 में पूर्व से नामांकित छात्र/छात्रा को नामांकन शुल्क देय नहीं)	**150.00**

नोट–1. छात्र–छात्राओं द्वारा परीक्षा शुल्क वि0 वि0 खाते में ऑन लाईन जमा करना होगा।

नोटः– प्रवेश शुल्क रसीद एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। अतः छात्र शुल्क रसीद कदापि न खोयें। रसीद खो जाने पर प्राचार्य की अनुमति से द्वितीय प्रति रू0 50.00 जमा करने पर निर्गत हो सकेगी।

7. छात्रावास शुल्क

छात्रावास में रहने वाले छात्रों से रू.100 पंजीकरण शुल्क लिया जायेगा तथा छात्रावास का पूरे वर्ष का किराया एक मुश्त अथवा दो समान किस्तों में जिसकी कुल धनराशि रू0 6,000 प्रतिवर्ष है, की दर से लिया जायेगा। बिजली/पानी का शुल्क छात्र–छात्राओं द्वारा उपभोग करने के बाद आये कुल बिजली के बिल को छात्रावास में रहने वाले छात्रों में समान रूप से विभाजित कर लिया जायेगा। बिजली/पानी की दरों में वृद्धि होने पर बिजली/पानी के शुल्क में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है। छात्रावास में प्रवेश के समय पूर्ण शुल्क देना अनिवार्य होगा।

8. परिचय पत्र (Identity Card)

महाविद्यालय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने पास परिचय पत्र रखना अति आवश्यक होगा। अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र नहीं दिखाया, तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय–पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखें। परिचय–पत्र खो जाने पर इसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दें तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी शास्ता को शुल्क रसीद दिखाकर रू0 50.00 नकद जमा करने पर ही दूसरा परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। विद्यार्थी को शुल्क रसीद अनिवार्यतः सुरक्षित रखनी चाहिए । उसे कभी भी सत्यापन के लिये मांगा जा सकता है।

9. शुल्क मुक्ति नियम (Rules for fee Concession)

केवल स्नातकोत्तर स्तर पर सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लियेः– (क) यदि किसी छात्र/छात्रा के दो या दो से अधिक भाई/बहन स्नातकोत्तर कक्षाओं में इस महाविद्यालय में छात्र/ छात्रा के रूप में अध्ययनरत् हों तो केवल एक भाई/बहन को पूर्णशुल्क/अर्द्धशुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी। (ख) नियमानुसार 10 प्रतिशत तक छात्रों को पूर्ण शुल्क मुक्ति तथा 15 प्रतिशत तक छात्रों को अर्द्धशुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है जो कि आर्थिक स्थिति एवं शैक्षिक योग्यता पर आधारित होगी। (ग) महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए प्रदत्त शुल्क मुक्ति निरस्त की जा सकती है। शुल्क मुक्ति के लिये निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों को भरकर आय प्रमाण–पत्र तथा प्राप्तांकों की सत्यापति प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि तक अवश्य कार्यालय में जमा करना होगा।

(घ) शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी जबकि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषप्रद, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत हो। वांच्छित प्रमाण पत्रों के अभाव में प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। शुल्क मुक्ति के इच्छुक छात्रों को अपने अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र जो कि किसी सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अथवा नियोक्ता) द्वारा निर्गत किये हों, अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। साक्षात्कार में अनुपस्थित विद्यार्थी शुल्क मुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इन प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के लिये प्राचार्य शुल्क मुक्ति समिति का गठन करेंगे, जो प्रार्थना पत्रों के आधार पर साक्षात्कार द्वारा छात्रों को शुल्क मुक्ति हेतु अपनी संस्तुति रिपोर्ट प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर प्राचार्य शुल्क मुक्ति प्रदान करेंगे।

10- छात्रवृत्ति
(Scholarships)

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्रा हेतु वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख तथा पिछडी जाति हेतु 1 लाख रूपये है। जिसमें शासन के निर्देशानुसार आय सीमा में परिवर्तन की दशा में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रथम वर्ष द्वितीय/तृतीय वर्ष शासनादेश सं0 2097/XVII-4/2014 दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से ''ऑन लाइन'' छात्रवृति की योजना लागू कर दी गई है। जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट www.scholarship.uk.gov.in पर छात्र/छात्रा को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को, उसे भविष्य के अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड एस.एम0एस0/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। इस प्राप्त हुए यूजर आई डी से छात्र कहीं से भी नियत अंतिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, CBS बैंक की पासबुक का प्रथम पेज की छायाप्रति जिसमें बैंक एकाउण्ट नम्बर एवं बैंक का IFSC कोड स्पष्ट रूप में दर्ज हो, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। सम्बन्धित छात्र द्वारा ऑनलाइन फीड किये गये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट–आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर सभी दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में नियत अंतिम तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा । छात्र अपने भरे हुये आवेदन पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उसके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्यवाही की जायेगी। छात्र/छात्रा को नियत तिथि तक आनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके बाद प्राप्त आवेदनपत्र साफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।
2. **भूतपूर्व सैनिक छात्रवृत्ति**–यह छात्रवृत्ति सम्बन्धित जिले के सैनिक एंव पुनर्वास कार्यालय से आवेदन करने पर प्रदान की जाती है।
3. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शोध छात्रवृत्ति**–संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की सुविधा है। आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन करने पर प्राप्त की जा सकती है।
4. **उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी**–संस्कृत विषय स्नातक/स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। संस्कृत अकादमी की वेबसाइड पर जा कर आवेदन पत्र आनलाइन भर कर प्राप्त की जा सकती है। छात्र वेबसाइड पर जा कर सूचना यथासमय प्राप्त कर सकते है।

नोट–उक्त सभी छात्रवृत्तियां, छात्रवृत्ति अनुदान शासनादेशों के अनुरूप परिवर्तनीय हैं।

11. निर्धन छात्र सहायता कोष

(Poor Boys Fund)

ऐसे निर्धन एवं मेधावी छात्र जिन्हें किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता या शुल्क सहायता न मिल पायी हो वे संयोजक, छात्र कल्याण परिषद से सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

12. उपस्थिति नियम

(Rules for Attendance)

शासनादेश संख्या–528 (1) 15 (उ0शि0) 71/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है। निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में 6 प्रतिशत तक की छूट प्राचार्य द्वारा तथा 9 प्रतिशत की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1 अ) विद्यार्थी की लम्बी और गम्भीर बीमारी के बाद कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अंदर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया हो।

(ब) किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित साक्ष्य देने पर।

2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन0सी0सी0 शिविर, खेलकूद–सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, रोवर्स–रेंजर्स शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता में मार्जन कर दिया जायेगा। बशर्ते कि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता है।

नोटः– प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र 2016–17 से प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। उपस्थिति कम होने पर विद्यार्थी को न केवल विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जायेगा बल्कि राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स–रेंजर्स शिविरों में प्रतिभाग करने से भी वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन संस्तुत नहीं किये जायेंगे। साथ ही क्रीड़ा–सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे। कम उपस्थिति रहने पर अभिभावकों को भी सूचित कर दिया जायेगा।

13. महाविद्यालय पुस्तकालय
(College Library)

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र–छात्राओं की सुविधानसार पुस्तकें प्राप्त करने के लिये तिथियां निधार्रित की जाती है और उन्ही ंदिनों में पुस्तकें वर्ष भर निगर्त की जाती है।

1. पुस्तक प्राप्त करने हेतु निर्धारित मांग पत्र भर कर पुस्तकालय में जमा करना होता है, यदि वह पुस्तक किसी को न दी गई हो तब वह छात्र/छात्राओं को परिचय पत्र दिखाने पर ही मिल सकती है।
2. एक समय में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को अधिकतम 3 पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर दी जा सकती हैं जो कि 14 दिन में निर्धारित तिथि तक पुस्तकालय में लौटानी होती है। निर्धारित तिथि पर पुस्तक न लौटाने पर 100 रूपये प्रतिदिन अर्थडण्ड लगेगा।
3. स्नातकोत्तर विभागों में स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं को विभागीय पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा है।
4. कोई भी पत्रिका परिचय–पत्र पर नहीं दी जायेगी। जो छात्र/छात्रा इन्हें पढ़ना चाहते हैं वे वाचनालय में अपना परिचय पत्र जमा कर पढ़ सकते हैं।
5. संदर्भ पुस्तकें निर्गत नहीं होंगी।
6. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले की होती है। यदि कोई पुस्तक फट जाय, गंदी हो जाय एवं किसी भांति नष्ट हो जाय तो पुस्तक लेने वाले को नई पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय उसकी भली भांति जांच कर लेनी चाहिए कि पुस्तक की दशा ठीक है या नहीं अन्यथा क्षति हेतु पुस्तक लेने वाले उत्तरदायी होंगे। पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर नई पुस्तक या उसका मूल्य जमा करना होता है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिली है तो इस आशय का प्रमाण पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना चाहिएं।
7. परीक्षा से पूर्व पुस्तकें लौटाकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

14. वाचनालय
(Reading Room)

छात्र/छात्राओं के लिये सदैव सामाचार पत्र, मासिक पत्रिकायें पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये महाविद्यालय वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अतिरिक्त पुस्तक एवं पत्रिकाओं आदि को क्रय करने का सुझाव मिलने पर उन्हें क्रय करने की भी व्यवस्था की जा सकती है। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि खाली समय पर पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते रहें।

15.महाविद्यालय पत्रिका
(College Magazine)

छात्र/छात्राओं की सृजनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका 'हिमसुमन' का प्रकाशन किया जाता है। छात्र/छात्राएं पत्रिका में मौलिक रचना/लेख आदि के प्रकाशन के लिए सम्पादक मण्डल से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। वर्ष 2016–17 में वार्षिक पत्रिका 'हिम सुमन' का संयुक्तांक प्रकाशित हो चुका है। अगला 2017–2018 संस्करण प्रकाशित किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

16. कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट प्रयोगशाला
(Computer Netwoking and Internet Laboratory)

महाविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं शोध छात्रों हेतु इन्टरनेट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जिसमें उक्त कक्षाओं के छात्र–छात्राएं अपने विषय का आधुनिकतम ज्ञान तथा शोध कार्यों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

17. भाषा प्रयोगशाला
(Language Lab)

सत्र 2020–21 से महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के भाषा ज्ञान को परिमार्जित करने व व्यक्तित्व निखारने के उद्देश्य से लैंग्वेज लैब की स्थापना की गई है।

18. कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल
(Career Counselling and Placement Cell)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की बौद्धिक प्रतिभा को निखारने, उनमें क्षमता, दक्षता, आत्मविश्वास तथा स्पर्द्धा उत्पन्न करने हेतु एक कैरियर काउन्सलिंग सेल स्थापित की गयी है। उन्हें स्वावलम्बी बनाने, रोजगार परक सूचनाओं से अवगत कराने तथा विविध प्रकार के परामर्श देने हेतु काउन्सलिंग सेल उपयोगी मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

19. पूर्व छात्र परिषद
(Alumni Association)

भूतपूर्व छात्रों का महाविद्यालय के विकास हेतु महत्वपूर्ण भागीदारी के उद्देश्य से महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद् का गठन किया गया है। एतदर्थ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई/बहन/अभिभावक अथवा सम्बन्धी इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों, तो उनकी सूचना महाविद्यालय में गठित पूर्व छात्र परिषद के संयोजक को उपलब्ध करायें जिससे परिषद् की समय–समय पर होने वाली बैठकों में उन्हें आमंत्रित किया जा सके तथा महाविद्यालय के विकास में

उनका योगदान/सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। भूतपूर्व छात्र परिषद् के अध्यक्ष–प्राचार्य होते हैं, सचिव पद पर एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा उपाध्यक्ष पद पर भूतपूर्व छात्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। इसी तरह अन्य सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है।

20. अभिभावक–शिक्षक परिषद
(Parent & Teacher Association)

जिस प्रकार भूतपूर्व छात्र परिषद् में छात्रों के हितार्थ भूतपूर्व विद्यार्थियों को उनकी सहयोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें महाविद्यालय में बुलाया जाता है। उसी प्रकार महाविद्यालय की सर्वांगीण उन्नति एवं छात्र कल्याण हेतु अभिभावक–शिक्षक परिषद् का गठन किया जाता है। प्राचार्य इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष पद का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा सचिव पद पर किसी एक वरिष्ठ प्राध्यापक को प्राचार्य द्वारा नामित किया जाता है। सदस्यों का चुनाव भी अभिभावकों में से ही किया जाता है।

21. महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ
(Women's Harassment Redressal CELL)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा महिला उत्पीड़न के मामलों की देख–रेख के अतिरिक्त छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं अध्यात्मिक विकास के लिये प्रशिक्षण, व्याख्यान, इन्डोर गेम्स, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की सुविधा आदि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकोष्ठ में महिला सदस्यों की संख्या अधिक रखी जाती है।

22. अनुशासन एवं शास्ता मण्डल
(Discipline And Proctorial Board)

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य शास्ता (Chief Procter) होता है, जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय से एक–एक प्राधयापक शास्ता मण्डल का सदस्य होता है। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये बाध्यकारी है। अनुचित आचरण करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून विरूद्ध कार्य न करें और न ही अशांन्ति फैलायें। यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराधः–

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है)।
7. परिसर में किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेधः–

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गंदा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाना/क्षति पहुंचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में चूइंगम, पान मसाला, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय–पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलंबित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।
8. महाविद्यालय परिसर में मल्टीमीडिया फोन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। शास्ता मण्डल द्वारा कभी जांच के समय उक्त फोन प्रयोग करते पाये जाने पर फोन जब्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी मांगा जा सकता है। परिचय–पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय–पत्र मुख्य शास्ता के अनुमोदन पर कार्यलय से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियां शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जाएगा।
4. दुराचरण एवं उदण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

23. रैगिग कानूनन अपराध
(Ragging: A Legal Offence)

कालेजों में रैगिंग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञेय अपराध की श्रेणी में स्थापित किया है। रैंगिंग एक असामाजिक, आपराधिक एवं अमानवीय कृत्य है जिसे हर दशा में रोका जाना चाहिए। इस आपराधिक कृत्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से इसमें संलिप्त विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। इसमें 25 हजार रूपये तक का अर्थण्ड भी सम्मिलित है। इसमें दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरूद्ध रैगिग समिति अपराध के गम्भीरता को देखते हुये निम्नलिखित कार्यवाही कर सकती है।

1. प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. महाविद्यालय से निष्कासन/निलम्बन किया जाना।
3. किसी अन्य संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित किया जाना।
4. प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं की वापसी।
5. अपराध की प्रवृति के अनुसार मुकदमा चलाया जाना भी सम्मिलित है।

रैगिंग का तात्पर्य किसी छात्र/छात्रा को बोलकर, लिखकर, संकेत द्वारा, हाव–भाव से या शारीरिक गतिविधियों से क्षति पहुंचाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाना, नवीन प्रवेशार्थी व कनिष्ठ छात्र/छात्राओं को डराना, धमकाना, उन्हें मानसिक आघात पहुंचाना, हतोत्साहित करना, परेशान करना उनके

क्रियाकलापों में गतिरोध उत्पन्न करना तथा उन्हें उन कार्यों को करने के लिये बाध्य करना जिन्हें वे करना नहीं चाहते या शर्म महसूस करते हैं या जिन्हें करने में उन्हें असहजता अनुभव होती हो या उन्हें मानसिक रूप से कष्ट होता हो। इसके अतिरिक्त किसी छात्र/छात्रा को दुष्कृत्य हेतु प्रेरित करना भी इसी अपराध की श्रेणी में आता है।

रैगिंग निरोधक समिति/रैंगिंग निरोधक दस्ता माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र सं0 310/04 ए.आई.ए. दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 27 मार्च 2019 को दृष्टिगत रखते हुये यू.जी.सी. एवं कुलाधिपति (महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन) के निर्देशानुसार महाविद्यालय में भी एक रैगिंग निरोधक समिति (Anti Ragging Committee) एवं रैगिंग निरोधक दस्ता (Anti Ragging Squad) का गठन किया जाता है, जो कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सख्ती से नजर रखती है तथा ऐसी किसी भी घटना पर कठोरतम् कार्यवाही हेतु सबल संस्तुति भी करती है।

24. पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप
(Co-Curricular Activities)

(I) छात्र संघ–छात्र संघ चुनाव

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या S.L.P (Civil) N0. 24295ध्2004/ दिनांक 26.06.2004 जो महाविद्यालय भारत सरकार के पत्र संख्या द्वारा अधिसूचित एवं उच्च शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश संख्या 184/XXIV ;6)/2007.3;168)/2001 दिनांक 27.02.2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व–वित्तपोषित संस्थानों पर लागू करने के अनुपालन में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार छात्र संघ चुनाव पर संपन्न कराये जायेंगे।

(II) राष्ट्रीय सेवा योजना

''मैं नहीं परन्तु आप'' (Not Me But You) की भावना पर आधारित रा.से.यो. के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी कई गतिविधियाँ संचालित होती हैं जैसे–शिक्षा एवं मनोरंजन, आपदाओं (तूफान बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि) के लिये कार्यक्रम, स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यक्रम तथा भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम। वर्तमान में महाविद्यालय में रा0से0यो0 की तीन इकाई कार्यरत हैं, जिसके तहत 300 विद्यार्थी पंजीकृत होते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घंटे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष शिविर ('ए' प्रमाण पत्र) एवं एक दिवसीय शिविर भी आयोजित किये जाते हैं, सत्र 2004–05 से वि0वि0 द्वारा रा0से0यो0 'बी' व 'सी' प्रमाण पत्रों की परीक्षायें भी आयोजित की जाती है। जिन्हें उत्तीर्ण करने पर विभिन्न विभागों में रोजगार एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता/अधिमान प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। स्नातक द्वितीय वर्ष में पंजीकरण पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों पर स्नातक प्रथम वर्ष से पंजीकरण किया जायेगा। एन0सी0सी0 में पंजीकृत छात्र/छात्राएं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी बनने हेतु अर्ह नहीं है।

III एन0सी0सी0

महाविद्यालय में एन0सी0सी0 की सीनियर डिवीजन इकाई कार्यरत है। जिसमें देश सेवा एवं सुरक्षा का प्रशिक्षण नियमानुसार भारतीय सेना के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के 'बी' और 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले स्नातक छात्र/छात्राओं के लिये भारतीय सेना अधिकारी पद हेतु स्थान सुरक्षित है।

IV रोवर्स एवं रेंजर्स

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं में नैतिकता, सामाजिक समरसता, जनचेतना, दक्षता, सेवाभाव एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने कें लिये भारत स्काउट–गाइड, उत्तराखण्ड के निर्देशन में महाविद्यालय में रोवर–रेंजर की इकाई दिनांक 30 दिसम्बर 2003 को स्थापित हुई, जिसमें रोवर्स एवं रेंजर्स के 24–24 स्थान निर्धारित हैं। इन्हें क्रमशः हिमाद्रि एवं गंगोत्री नाम से पंजीकृत किया गया है। इसके तहत समय–समय पर स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समागमों का आयोजन होता है। जिसमें इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति पदक, उपराष्ट्रपति प्रमाण पत्र सहित, प्रवेश, प्रवीण एवं निपुण के प्रमाण–पत्र प्रादेशिक/राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा प्रदान किये जाते हैं। जिनमें राजकीय सेवा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा अधिमान निर्धारित है।

V विभागीय परिषद

महाविद्यालय के समस्त विभाग अपनी–अपनी विभागीय परिषदों का गठन करते हैं। विभागीय परिषदों में छात्र/छात्राएं विभागीय शैक्षणिक सह–शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के साथ–साथ भ्रमण आदि में प्रतिभाग करते है। विजेता प्रतिभागियों को पारितोषित दिया जाता है।

VI सांस्कृतिक परिषद

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं में सन्निहित साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं संवर्द्धित किया जाता है। प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय /विश्वविद्यालय अथवा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक–साहित्यिक आयोजनों में प्रतिभाग सुनिश्चित कराने हेतु सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया जाता है।

VII क्रीड़ा एवं खेलकूद

''स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है''। महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के मानसिक उन्नयन के साथ–साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके लिए पूरे सत्र के दौरान क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती है। योग्य छात्र/छात्राओं का चयन कर विभिन्न अन्तर्महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वार्षिक क्रीड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को महाविद्यालय वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिन्टन, बॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलों की सुविधा उपलब्ध है।

25. अन्य नियम

1. अस्थायी/स्थाई चरित्र प्रमाण–पत्र'–अध्ययनरत संस्थागत छात्रों को अस्थायी चरित्र प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करने पर मुख्य शास्ता की संस्तुति के पश्चात् दिया जाता है। 06 माह के पश्चात् ही विद्यार्थी को दूसरा अस्थाई चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। स्थायी चरित्र प्रमाण पत्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ निर्गत किया जाता है, इसकी मूलप्रति को सुरक्षित रखकर फोटो प्रतियां ही आवेदन पत्रों पर संलग्न की जाती है।
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र–यह प्रमाण पत्र रू0 05 (पांच रूपया) शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने एवं पूरित अदेय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद निर्गत किये जाते हैं।
3. शुल्क रसीद– छात्र/छात्रा को प्रवेश के पश्चात् पूर्ण सत्र तक अपनी शुल्क की रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए। परिचय पत्र प्राप्त करते समय परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय तथा प्रतिभूति धनराशि वापस लेते समय शुल्क रसीद की आवश्यकता होती है। शुल्क रसीद के खो जाने पर रू0 50 शुल्क जमा करने के उपरान्त शुल्क रसीद की द्वितीय प्रति निर्गत की जा सकेगी।

26. शिक्षा संकाय–बी0एड0
(Education Faculty-B.Ed)

सत्र 2009–10 से महाविद्यालय में शिक्षा संकाय के अंतर्गत स्व–वित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है जिसके लिये एन0सी0टी0ई0 जयपुर से मान्यता प्राप्त है। स्व–वित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 से द्विवर्षीय आधार पर संचालित हो रहा है, जिसमें 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश उन्हीं छात्र/छात्राओं को दिये जायेंगे जिन्होंने बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में अर्हता अंक प्राप्त किये हों। यह प्रवेश विश्विद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दिये जाते हैं।

27. छात्रावास सम्बन्धी नियम
(Rules Related to Hostel)

महाविद्यालय में छात्रों के लिये एक छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। जिसमें अधिकतम 48 छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है। छात्राओं के आवास के लिये महाविद्यालय के पास कोई प्रबन्ध नहीं है।

छात्रावास के लिये मान्य सामान्य नियमः–

1. छात्रावासी छात्र प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक के नियंत्रण के अधीन होंगे तथा उन्हें प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक के अनुसार कार्य करना होगा।
2. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक छात्र जिन्होंने महाविद्यालय की किसी कक्षा में नियमित प्रवेश प्राप्त कर लिया है, निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करेंगे।
3. भूतपूर्व छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों पर छात्रावास अधीक्षक विचार कर अपनी संस्तुति प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिनके आधार पर प्राचार्य प्रवेश स्वीकृत करेंगे, किन्तु प्रवेश सम्बन्धी अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश योग्यता व अच्छे आचरण के आधार पर दिया जायेगा। जिन छात्रों के विरूद्ध अनुशासन सम्बन्धी शिकायत होगी अथवा जिनका आचरण असंतोषजनक पाया जायेगा, उन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
5. छात्रावास में प्रवेश के लिये संस्तुत छात्रों की सूची सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी तथा सूचना में दी गई निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा तथा इस प्रकार बची हुई सीटों पर प्रतीक्षा सूची में से योग्यता क्रमानुसार प्रवेश स्वीकृत किए जायेंगे।
6. छात्र शुल्क जमा करने के उपरान्त कार्यालय से प्राप्त रसीद के आधार पर ही अधीक्षक की अनुमति से छात्रावास में जायें। कक्षों का आवंटन छात्रावास अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
7. छात्रावास में 90 प्रतिशत स्थान उत्तराखण्ड के छात्रों के लिये सुरक्षित होंगे। प्रत्येक छात्र को तीन सीटों वाले कक्ष में आवास के लिये सीट आवंटित की जायेगी। इस सीट के लिये फर्नीचर और सामग्री छात्र को प्रदान की जायेगी। उसके रख–रखाव एवं अन्य सामग्री की सुरक्षा के लिये वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
8. इसके अतिरिक्त प्रत्येक छात्रावासी अपने कक्ष में रहने वाले अन्य सह छात्रावासियों के साथ सामूहिक रूप से पूरे कक्ष में रख–रखाव एवं अन्य सामग्री की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
9. छात्रावास में प्रतिदिन निर्धारित समय पर उपस्थिति ली जायेगी। अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई छात्रावासी अनुपस्थिति नहीं रह सकता है।
10. छात्रावास में छात्रों के साथ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रह सकता।
11. प्रत्येक छात्रावासी अपने छात्रावासियों के प्रति सौहार्द, सद्भाव एवं सहानुभूतिपूर्वक निवास करेंगे किसी भी प्रकार का आपसी मनमुटाव, दलबंदी संघर्ष या दूसरे के हितों में बाधा पहुंचाने या छात्रावास से भीतर बाहरी व्यक्तियों के सहयोग से उपद्रव करना, अनुशासन नियमों के प्रतिकूल समझा जायेगा और ऐसे त्रुटिकर्ता को नियमानुसार दण्ड का भागी होना पड़ेगा।

12. छात्रावास की व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये अधीक्षक अपनी सहायता के लिए छात्रावास के पुराने एवं योग्य छात्रों को प्रीफेक्ट नियुक्त करेंगे एवं प्राचार्य तथा छात्र अपने सह छात्रावासियों तथा अधीक्षक के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेंगे।
13. अधीक्षक एवं प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास में किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जायेगा। राजनैतिक एवं सामाजिक गतिविधियों से सम्बन्धित व्यक्ति छात्रावास में किसी दशा में नहीं आ सकेंगे। इस कृत्य के लिये दोषी छात्र को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
14. छात्रावास में मादक वस्तुओं का प्रयोग अथवा मादकता की अवस्था में रहना पूर्णतया वर्जित है। मद्यपान अथवा नशीली वस्तुओं के सेवन के कारण छात्रावासी को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
15. छात्रावास में हीटर तथा इमरज्न रॉड का प्रयोग नितांत वर्जित है।
16. आरक्षण शासनादेशानुसार देय होगा।

28. स्वच्छ भारत अभियान
(Mission Clean India)

'राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान' के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखने हेतु सप्ताह में एक दिन कक्षावार प्रत्येक छात्र/छात्रा, प्रध्यापक एवं कर्मचारी स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करेंगे। परिणामस्वरूप, महाविद्यालय परिसर स्वच्छ बने रहेंगे और इनके आस–पास के क्षेत्र भी साफ–सुथरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि कूड़ा–करकट केवल महाविद्यालय में रखे प्लास्टिक के कूड़ेदान में ही डालें अन्यत्र नहीं फेंके तथा तम्बाकू, गुटका, खैनी तथा इनसे सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का सेवन न करें, ताकि महाविद्यालय का पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। यदि कोई व्यक्ति परिसर या इसके आस–पास गन्दगी एवं प्रदूषण फैलाते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 'नमामि गंगे' परियोजना के अंतर्गत नदी–नालों एवं आस–पास के परिवेश को स्वच्छ रखा जाना है। इसमें शिक्षक/कर्मचारी/विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका सामान्यतः तथा एन0एस0एस0, एन0सी0सी0 एवं रोवर्स–रेंजर्स के स्वयं सेवकों की सक्रिय भूमिका विशेष रूप में निर्धारित की गई है

29. अनुपालनीय बिन्दु

(अ) उत्तराखण्ड शासन के नवीनतम आदेश के आलोक में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने हेतु महाविद्यालय के मुख्य परिसर में प्रत्येक कार्यदिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत किया जाता है।
(ब) केन्द्र शासन द्वारा प्रेरित तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान को शासन के निर्देशानुसार प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाता है।
(स) अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन द्वारा दर्ज करायी जायेगी। शुरूआत में बी0एड0 विद्यार्थियों पर इसे लागू किया गया है। अन्य विद्यार्थियों हेतु बाद में निर्णय लिया जायेगा।
(द) 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता कठोरता से लागू है।

30. गणवेश

छात्र/छात्राओं को निम्न प्रकार से गणवेश में आना अनिवार्य है।

1. छात्र वर्ग–हल्की नीली, सफेदधारी कमीज, नेवी ब्लू (गहरी नीली) पैन्ट
2. 2. छात्रा वर्ग–सफेद नीलीधारी, बन्द कालर, फुल बाजू कुर्ता तथा रायल ब्लू कॉटन सलवार एवं रायल ब्ल्यू दुपट्टा।

आवश्यक बिन्दु :-

1. इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। नये शासनादेशों की प्राप्ति पर भी तदनुसार संशोधन कर दिये जायेंगे।

2. छात्र प्रवेश आवेदन पत्र सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए भरे।

3. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

रा0च0उ0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी

विषयवार प्राध्यापकों की सूची

क्र॰ सं॰	प्राध्यापक का नाम	पदनाम
विज्ञान संकाय		
जन्तु विज्ञान विभाग		
1	डॉ0 वसन्तिका कश्यप	प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 आकाश चन्द्र मिश्र	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	डॉ0 पूनम	नितान्त अस्थाई फैकल्टी
वनस्पति विज्ञान विभाग		
1	डॉ0 महेन्द्र पाल सिंह परमार	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 जयलक्ष्मी रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	डॉ0 ऋचा बधानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
4	श्री विपिन चन्द्र	असिस्टेंट प्रोफेसर
5	डॉ0 संजीव लाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
6	डॉ0 आराधना	असिस्टेंट प्रोफेसर
रसायन विज्ञान विभाग		
1	डॉ0 देवी प्रसाद पाण्डे	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 कमल कुमार बिष्ट	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	डॉ0 महिधर प्रसाद तिवारी	असिस्टेंट प्रोफेसर
4	डॉ0 तिलक राम	असिस्टेंट प्रोफेसर
5	श्री कैलाश सिंह रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
6	श्री विनोद कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
भौतिक विज्ञान विभाग		
1	डॉ0 अरविन्द कुमार रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 महेन्द्र प्रताप सिंह राणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	अंजलि नौटियाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
4	डॉ0 मुकेश चन्द्र बडोनी	नितान्त अस्थाई फैकल्टी
गणित विभाग		
1	श्रीमती ऋचा धीमान	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 प्रियंका संगल	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	श्री मोहित सिंह रावत	नितान्त अस्थाई फैकल्टी
वाणिज्य संकाय		
1	डॉ0 कंचन लता सिन्हा	प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष) (सम्बद्ध)
2	डॉ0 वीरेन्द्र कुमार गुप्ता	एसो॰ प्रोफेसर (सम्बद्ध)
3	डॉ0 दिवाकर बौद्ध	असिस्टेंट प्रोफेसर
4	डॉ0 दीपिका	असिस्टेंट प्रोफेसर
5	श्रीमती सृष्टि	असिस्टेंट प्रोफेसर
6	डॉ0 अर्जुन रवि (सम्बद्ध)	असिस्टेंट प्रोफेसर
7	श्री गणेशचन्द्र (सम्बद्ध)	असिस्टेंट प्रोफेसर
8	सुश्री नितिज्ञा वर्मा (सम्बद्ध)	असिस्टेंट प्रोफेसर
कला संकाय		
हिन्दी विभाग		
1	डॉ0 सुरेशचन्द्र	प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	श्री प्रवीण भटट	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	डॉ0 ममता ध्यानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
अँग्रेजी विभाग		
1	डॉ0 मनोज फोंदणी	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 विश्वनाथ राणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	डॉ0 रूचि कुलश्रेष्ठ	असिस्टेंट प्रोफेसर

संस्कृत विभाग		
1	डॉ0 देवेन्द्र दत्त पैन्यूली	एसो0 प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 वीर राघव खण्डूरी	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	डॉ0 शिक्षा	असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग		
1	श्रीमती ऊषा रानी नेगी	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 अनामिका क्षेत्री	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	श्री सुभाषचन्द्र	असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग		
1	डॉ0 रमेश सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	श्रीमती अंजना कुड़ियाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	श्री शिवम राज चौहान	असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग		
1	डॉ0 (श्रीमती) विनीता कोहली	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	श्री लोकेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	श्री पवेन्द्र सिंह जयाडा	असिस्टेंट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग		
1	श्री परदेव सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 पी के सिंह	संविदा प्रवक्ता
3	**पद रिक्त**	-
भूगोल विभाग		
1	डॉ0 नन्दी गडिया	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	डॉ0 बचन लाल	असिस्टेंट प्रोफेसर
3	श्रीमती सुनीता रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
4	डॉ0 सुनैना भट्ट	हे0न0ब0ग0वि0वि0 संविदा
गृह विज्ञान विभाग		
1	श्रीमती नीतूराज	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
2	सुश्री देवयानी लिगंवाल	गैस्ट फैकल्टी
3	सुश्री प्रीति वर्त्वाल	गैस्ट फैकल्टी
चित्रकला विभाग		
1	डॉ0 गंगोत्री	नितान्त अस्थाई फैकल्टी
2	डॉ0 मधु बहुगुणा	गैस्ट फैकल्टी
3	**पद रिक्त**	-
संगीत विभाग		
1	श्रीमती सोनिया सैनी	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)
शारीरिक शिक्षा विभाग		
1	श्री सुरेन्द्र सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष)

रा0च0उ0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी
समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूची

क्र0सं0	कर्मचारियों के नाम	पद नाम
1	श्री श्रद्धानन्द सेमवाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
2	श्रीमती रचना राणा	कनिष्ठ सहायक
3	श्री परमानन्द नौटियाल	प्रयो0 सहा0 भौतिक विज्ञान
4	श्री विनोद कुमार शाह	प्रयो0 सहा0 रसायन विज्ञान
5	श्री रतन लाल शाह	प्रयो0 सहा0 रसायन विज्ञान
6	श्री माया राम	वरिष्ठ सहायक
7	श्री राजवीर सिंह	प्रयो0 सहा0 जन्तु विज्ञान

8	श्रीमती अमिता	प्रयो0 सहा0 गृह विज्ञान
9	श्री चन्द्र सिहं नेगी	अनुसेवक
10	श्री रणवीर सिहं नेगी	अनुसेवक
11	श्री मो0 अकबर	अनुसेवक
12	श्री रविन्द्र सिहं रावत	अनुसेवक
13	श्री देवेन्द्र सिंह चौहान	अनुसेवक
14	श्री शार्दुल सिहं बिष्ट	अनुसेवक
15	श्री विनोद सिहं	अनुसेवक
16	श्री सुन्दर लाल	अनुसेवक
17	श्री गिरिवर सिंह सजवाण	अनुसेवक
18	श्री नवीन ध्यानी	अनुसेवक
19	श्री गजेन्द्र सिंह पडियार	कनिष्ठ सहायक संविदा
20	श्री सत्येन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक संविदा
21	श्रीमती बबीता रावत	प्रयो0 सहा0 संविदा
22	श्री राकेश नौटियाल	प्रयो0 सहा0 संविदा
23	श्री प्रदीप बिष्ट	तबला वादक संविदा
24	श्री नदीम अहमद	प्रयो0 सहा0 संविदा
25	श्री रघुवीर सिंह रावत	प्रयो0 सहाय0 संविदा
26	श्री विकास राणा	इलैक्ट्रिषियन संविदा
27	श्री दिनेश	अनुसेवक संविदा
28	श्री राकेश बडोनी	अनुसेवक संविदा
29	श्री अमोद प्रसाद भट्ट	अनुसेवक संविदा
30	श्री अरविन्द सिंह बिष्ट	अनुसेवक संविदा
31	श्री यशवन्त सिंह	अनुसेवक संविदा
32	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	अनुसेवक संविदा
33	श्री दीपक बिष्ट	अनुसेवक संविदा
34	श्री राजेश	स्वच्छक संविदा
35	श्रीमती रीना चौहान	अनुसेवक संविदा
36	श्रीमती सरस्वती देवी	अनुसेवक संविदा
37	श्रीमती पुलमा देवी	अनुसेवक संविदा
40	श्री ओम प्रकाश	अनुसेवक संविदा
41	श्री जगदीप सिंह	अनुसेवक संविदा
42	श्री योगन्द्र सिंह	अनुसेवक संविदा
43	श्री दिनेश लाल	अनुसेवक संविदा

हमारा विज़न

विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु स्वस्थ एवं सम्पूर्ण सुविधाओं युक्त वातावरण उपलब्ध करना तथा उनकी क्षमता, उत्कृष्टता व रचनात्मकता में उन्नयन करते हुए उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना।

हमारा मिशन

- **उत्तरकाशी जनपद के ग्रामीण, सामाजिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के नामांकन दर में वृद्धि हेतु प्रयास करना।**
- **गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना जिससे विद्यार्थियों की योग्यताओं व क्षमताओं में विकास हो, उनमें आत्मविश्वास, निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने जैसी योग्यताएँ विकसित हों।**
- **उच्च-शिक्षा करने के परंपरागत तरीकों के साथ –साथ सूचना व संचार तकनीकी (ICT) के प्रयोग को बढ़ावा देना ।**
- **उच्च- शिक्षा को प्रासंगिक बनाते हुए उत्तरकाशी जनपद के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास में उसकी भूमिका सुनिश्चित करना ।**
- **रोजगार परक शैक्षिक कार्यक्रम प्रारम्भ करना ।**
- **शोध संबंधी मापदण्डों को छात्र-छात्राओं के मध्य स्थापित करना एवं इसे सुगम बनाना ।**
- **देश के सर्वोच्च सेवाओं हेतु विद्यार्थियों को मानसिक एवं शैक्षिक रूप से तैयार करना।**